जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-19.09.2025**

पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह द्वारा शुक्रवार की परेड के दौरान नवीन पुलिस लाईन शामली का निरीक्षण कर, सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देशः-

आज दिनांक 19.09.2025 को पुलिस अधीक्षक श्री एन0पी0 सिंह द्वारा नवीन पुलिस लाईन में शुक्रवार की परेड के दौरान पुलिस लाईन शामली का निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा सर्वप्रथम नवीन पुलिस लाईन में परेड़ की सलामी ली गई। परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारियों के टर्नआउट व ड्रिल का मुआयना किया गया। इस निरीक्षण में पुलिस लाईन की परिवहन शाखा व यूपी-112 शाखा के वाहनों की स्थिति की जानकारी भी की गयी तथा परेड के दौरान पुलिस लाइन में आर0टी0सी प्रशिक्षण अभ्यार्थी भी मौजूद रहे। महोदय द्वारा नवीन पुलिस लाईन में प्रचलित आर0टी0सी0 की मैस, बैरक एवं अन्य मुलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया गया एवं प्रशिक्षण अभ्यार्थी से समस्याओं के बारे में जानकारी ली गयी तथा सम्बन्धित को तत्काल निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। इसके बाद महोदय द्वारा अर्दली रूम में रजिस्टर चैक किये गये एवं सम्बन्धित को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये। तदोपरांत इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय के अतिरिक्त क्षेत्राधिकारी नगर श्री अमरदीप मौर्य, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सुश्री प्रभा पटेल व प्रतिसार निरीक्षक श्री विक्रम सिंह व विभिन्न थानों/शाखाओं के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना क्षेत्रान्तर्गत बालाजी मन्दिर चौसाना रोड की बगल से खेतों की तरफ जाने वाला रास्ता वहद ग्राम गढ़ीअब्दुल्ला खां में हुई युवक की हत्या की घटना का 24 घंटे के अन्दर अनावरण करते हुये घटना में लिप्त 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल छुरा व एक अदद मो0सा0 बरामदः-

ज्ञात हो आज दिनांक 19.09.2025 को बालाजी मन्दिर चौसाना रोड की बगल से खेतों की तरफ जाने वाला रास्ता वहद ग्राम गढ़ीअब्दुल्ला खां में कालू पुत्र हसीन निवासी गढ़ीअब्दुल्लाखां के उड़द के खेत में मृतक कयूम पुत्र नसीम निवासी ग्राम हथछोया थाना झिंझाना जिला शामली उम्र करीब 21 वर्ष जाति मुस्लिम अंसारी शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियो, थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस तथा फील्ड़ यूनिट द्वारा मौके पर पहुचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये। थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। घटना के सम्बन्ध में मृतक के पिता श्री नसीम उर्फ नासा पुत्र श्री मकसूद निवासी हथछौया थाना झिंझाना जिला शामली की तहरीर के आधार पर अभि0 जुलफान पुत्र हाशिम निवासी हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली (भतीजा) जाति मुस्लिम अंसारी उम्र करीब 24 वर्ष के विरुद्ध थाना गढ़ीपुख्ता पर मु0अ0सं0 92/2025 धारा 103(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय शामली व क्षेत्राधिकारी थानाभवन के नेतृत्व में टीमें गठित की गयी।

इसी क्रम में आज दिनांक 19.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढ़ीपुख्ता व सर्विलांस टीम की त्वरित कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत बालाजी मन्दिर चौसाना रोड की बगल से खेतों की तरफ जाने वाला रास्ता वहद ग्राम गढ़ीअब्दुल्ला खां में कालू पुत्र हसीन निवासी गढ़ीअब्दुल्लाखां के उड़द के खेत में हुई युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त 01 अभियुक्त जुलफान उपरोक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल छुरा व एक अदद मो0सा0 बरामद हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढ़ीपुख्ता पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कयूम पुत्र नसीम निवासी ग्राम हथछोया थाना झिंझाना जिला शामली मेरा चचेरा भाई था जो मेरी पत्नि से गलत/अवैध सम्बन्ध रखता था मेरे द्वारा पहले कई बार उसको समझाया था लेकिन वह नही माना और मैने मौहम्मद मियां लौहार से 90 रुपये मे चाकू खरीदकर कयूम उपरोक्त को मोटर साइकिल पर जंगल मे ले जाकर उसकी गर्दन व शरीर पर चाकू से वार हत्या कर दी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.जुलफान पुत्र हाशिम निवासी हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त आलाक्तल छुरा।

2.घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री देशराज सिंह थाना गढ़ीपुख्ता जनपद शामली मय टीम।

2.उ0नि0 श्री सुनील कुमार सिहं थाना गढीपुख्ता जनपद शामली मय टीम।

3.उ0नि0 श्री यशवीर सिंह राणा चौकी प्रभारी गढ़ीअब्दुल्ला खां जनपद शामली मय टीम।

3.उ0नि0 श्री फतेह सिंह सर्विलांस प्रभारी जनपद शामली मय टीम।

““ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

थाना कैराना पुलिस द्वारा “ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 370 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 74 लाख रुपये) व मादक पदार्थ की तस्करी में प्रयुक्त मोबाइल, मोटर साइकिल बरामद। -

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 18.09.2025 की रात्रि में थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्कर 1. शाकिब पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली 2. इसरान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली को अवैध 370 ग्राम स्मैक (अभियुक्त शाकिब के कब्जे से 175 ग्राम व अभियुक्त इसरान के कब्जे से 195 ग्राम) (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 74 लाख रुपये) को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0-582/25 धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण शाकिब व इसरान उपरोक्त के मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.शाकिब पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली। (175 ग्राम)

2.इसरान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली। (195 ग्राम)

बरामदगी का विवरण-

1.अवैध 175 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपये)।

2.अवैध 195 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 39 लाख रुपये)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री उ0नि0 यशपाल सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0कां0 गौरव थाना कैराना जनपद शामली।

3.कां0 राहुल थाना कैराना जनपद शामली।

4.कां0 अरूण थाना कैराना जनपद शामली।

पुलिस की अपील

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। “नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रायपुर में जानलेवा हमला/फायरिंग करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध 02 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

ज्ञात हो कि दिनांक 16.09.2025 को वादी श्री बिजेन्द्र पुत्र हरिकिशन निवासी ग्राम रायपुर थाना बाबरी जनपद शामली को साथ उसी के गावं के ही सुहेल पुत्र सुलेमान व उसके तीन अन्य साथियों द्वारा गाली गलौज करते हुए जानलेवा हमला कर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के सम्बन्ध में वादी उपरोक्त द्वारा थाना बाबरी पर तहरीर दी गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी बाबरी को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 19.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रायपुर में जानलेवा हमला करने, गाली गलौज व जान से मारने की नीयत से फायरिंग के मामले में प्रकाश में आये 1. फरीद उर्फ नबील पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम रायपुर थाना बाबरी शामली, 2. शहजाद पुत्र असगर निवासी ग्राम रायपुर थाना बाबरी शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण के कब्जे घटना में प्रयुक्त अवैध 02 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. फरीद उर्फ नबील पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम रायपुर थाना बाबरी शामली।
2. शहजाद पुत्र असगर निवासी ग्राम रायपुर थाना बाबरी शामली।

बरामदगी का विवरणः-

घटना में प्रयुक्त अवैध 02 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0 नि0 सुनील कुमार वर्मा थाना बाबरी जनपद शामली।
2. है0कां0 संदीप थाना बाबरी जनपद शामली।
3. कां0 अनिल कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामदः-</u>

आज दिनांक 19.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रहीस पुत्र अनीस निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 दीपचंद थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.है0का0 अरविन्द कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.का0 जावेद थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला चौधरान पट्टी में दुकान के पास हुई जानलेवा हमला/फायरिंग के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

ज्ञात हो कि दिनांक 15.04.2025 को वादी श्री उज्जवल कश्यप पुत्र प्रमोद कश्यप निवासी चौधरान थाना थानाभवन जनपद शामली के साथ अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज करते हुए जानलेवा हमला कर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के सम्बन्ध में वादी उपरोक्त द्वारा थाना थानाभवन पर तहरीर दी गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी थानाभवन को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 19.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला चौधरान पट्टी में जानलेवा हमला करने, गाली गलौज व जान से मारने की नीयत से फायरिंग के मामले में प्रकाश में आये चीकू उर्फ हिमांशु पुत्र मुकेश निवासी ग्राम कुंआखेडा थाना नानौता जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. चीकू उर्फ हिमांशु पुत्र मुकेश निवासी ग्राम कुंआखेडा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0 नि0 इन्द्रसैन थाना थानाभवन जनपद शामली।
2. का0 अनुराग थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>गुमशुदा युवक को 24 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर थाना झिंझाना पुलिस द्वारा परिजनों के सुपुर्द किया गयाः-</u>

दिनांक 17.09.2025 को आवेदक श्री राजीव कुमार पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम कमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा अपने पुत्र प्रिंयाशु राठी उम्र 22 वर्ष घर से सुबह 04 बजे दौड लगाने जाने व वापस न आने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना शामली पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर गुमशुदगी दर्ज की गयी थी। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उपरोक्त गुमशुदा प्रिंयाशु राठी को शीघ्र बरामदगी हेतु टीमों का गठन कर थाना प्रभारी झिंझाना को निर्देशित किया गया था।

जिसके क्रम में दिनांक 18.09.2025 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गुमशुदा हुए युवक को जनपद रोहतक हरियाणा से सकुशल बरामद किया गया। गुमशुदा युवक प्रिंयाशु राठी ने बताया कि वह परिवारजनो से नाराज होकर घर से बिना बताये रोहतक चला गया था। बरामद युवक को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। थाना झिंझाना पर गुमशुदा हुए युवक की बरामदगी के सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुमशुदा युवक का नाम पताः-

1.प्रिंयाशु राठी पुत्र राजीव कुमार निवासी ग्राम कमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली उम्र 22 वर्ष

गुमशुदा को बरामद करने लाने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 राजेन्द्र थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध पैरवी करके प्रभावी कार्यवाही के क्रम में 02 मामलों में 24 अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 23,300/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

1.-वर्ष 2014 में अभियुक्तगण 1.निसार पुत्र बुन्दु 2.जमालू पुत्र छज्जू 2. इल्ताफ पुत्र अब्दुल्ला 4. अय्यूब पुत्र बुल्ला 5.धर्मेन्द्र पुत्र इकबाल 6. इदरीश पुत्र शरीफ 7. संजीव पुत्र श्रीपाल 8.मेनपाल पुत्र श्रीराम 9. जगमाल पुत्र रामचन्द्र 10. सोनू पुत्र कालू 11. हरमेटा सिंह पुत्र तिरसपाल 12.जरीफ पुत्र शरीफ 13. नरवीर पुत्र पूरन 14. सतवीर पुत्र रहतू 15. अख्तर पुत्र रफीक 16. रामकुमार पुत्र ईश्वर 17. लिल्लू पुत्र शिवचरण 18.रामधन पुत्र शीतल 19.तेजपाल पुत्र शिवलाल 20. इलियास पुत्र बुल्ला 21.मसूद पुत्र मजीद 22. उमरदीन पुत्र जिन्दा 23. अल्लाहरख्खा खाँ पुत्र फरजुल्ला खाँ समस्त निवासीगण निवासी मुण्डेट खादर थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0स0-430/2014 धारा 186/353/427 भादवि0 व 3 लोक सम्पत्ति अधि0 पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 19.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा व 1000-1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पर 05-05 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2018 में अभियुक्त 1.रवीश पुत्र भोला निवासी भाज्जू थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0स0-159/2018 धारा 3/4 जुआ अधि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 19.09.2025 को माननीय न्यायालय एसीजे/जेडी/जेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये 300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

SOCIAL MEDIA CEL SHAMLI